>

Title: Regarding Registration of Migrant Workers.

*m01

**श्री चुन्नी लाल साहु (महासमुन्द) :** अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रति वर्ष लाखों की तादाद में श्रमिक उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्ठों में कार्य करने अपने छोटे बच्चों के साथ जाते हैं ।

महोदय, संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में अपनी आजीविका चलाने के लिए वे जा सकते हैं । श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन न होने के कारण मजदूरों को दुर्घटना/जनहानि की मुआवजा राशि नहीं मिल पाती । कई भोले-भाले मजदूर अपनढ़ होने के कारण भटक जाते हैं । अनेकों मजदूर बंधक बना लिए जाते हैं । जैसे मेरे ही विकास खंड बागबहारा के ग्राम मूंनगासेर में कई व्यक्तियों की बाहर मृत्यु हुई । ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं ।

अत: केन्द्रीय श्रम मंत्री जी से मेरा निवदेन है कि छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को मजदूरों के पंजीयन कराने हेतु निर्देश पारित करें । पंजीयन हो जाने से मजदूर दुर्घटना, जनहानि का मुआवजा पाने के हकदार हो सकेंगे । मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा । साथ ही स्वास्थ्य हेतु चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार भी होगा ।

इसके साथ ही रेल मंत्री जी से भी गुज़ारिश है कि श्रमिकों के घर वापसी हेतु मई-जून के महीने में एक-एक सप्ताह स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से रायपुर, छत्तीसगढ़ चलाई जाए, जिससे मजदूर अपने घर सकुशल वापस आ सकें । धन्यवाद ।